5000Rs.

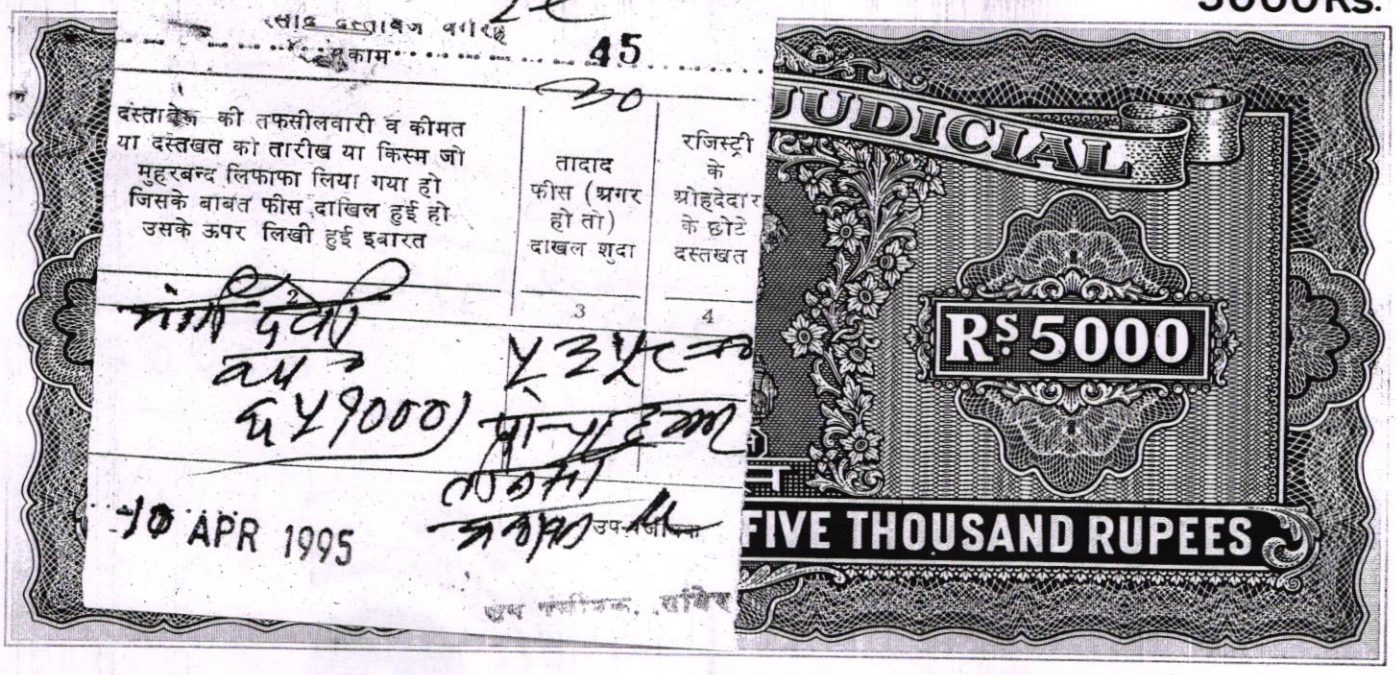

रसीद दस्तावेज वगैरह 2e

मुकाम ... 45

दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
	3	4
मांगी देवी बय रु ५,४९०००/		

10 APR 1995

उप पंजीयक

JUDICIAL

Rs 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

॥ श्री ॥

स्टाम्प पुस्तिका क्रमांक ४८३०६

:: ग्राम राजोदा तहसील सांवेर जिला ::

:: इन्दौर प० ह० नं० २१ रा० सर्कल ::

:: क्रमांक २ मे स्थित कृषि भुमि का ::

:: किरीखत किमत रुपयें ६,५१०००|- ::

:: अक्षरी छः लाख इक्यावन हजार रुपयें ::

स्टाम्प ड्यूटी रुपयें	४८८२५-००
पंचायत ड्यूटी रुपयें	६५१०-००
उपकर ड्यूटी रुपयें	२४४१-२५
अधिक स्टाम्प रुपयें	३-७५
कुल योग रुपयें	५७७८०-००

:: बाजारधारे मूल्याकंन रुपयें ६,५१०००|- छः लाख इक्यावन हजार रुपयें ::

रुपये ५१००|- अक्षरी पाच हजार एक सौ रुपयें विक्रेता ने क्रेता से कार्पोरेशन बैंक महात्मा गांधी मार्ग इन्दौर के चेक क्रमांक ८८७८१५ के व्दारा लेकर के भरपाये ।

रुपयें६,४५९००|- अक्षरी छः लाख पैंतालीस हजार नौ सौ रुपयें विक्रेता ने क्रेता से कार्पोरेशन बैंक महात्मा गांधी मार्ग इन्दौर के चेक क्रमांक ८८७८२० के व्दारा श्रीमान उप-पंजीयक महोदय, सांवेर के समक्ष लेकर के भरपाये ।

रुपयें ६,५१०००|- छः लाख इक्यावन हजार रुपयें प्राप्त ।

अविरत पेज ---::२::

मांगीदेवी

जिला कोषालय, इन्दौर
31 MAR 1995

Rs 5000.-

-8 APR 1995

मुद्रांक शुल्क के ...
१. नगर पालिका/नगर निगम ... दिया गया शुल्क
२. पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत दिया गया शुल्क
३. उपकर अधिनियम १९८२ के अन्तर्गत दिया गया शुल्क
४. अतिरिक्त शुल्क
५. अधिक मुद्रांक शुल्क

योग

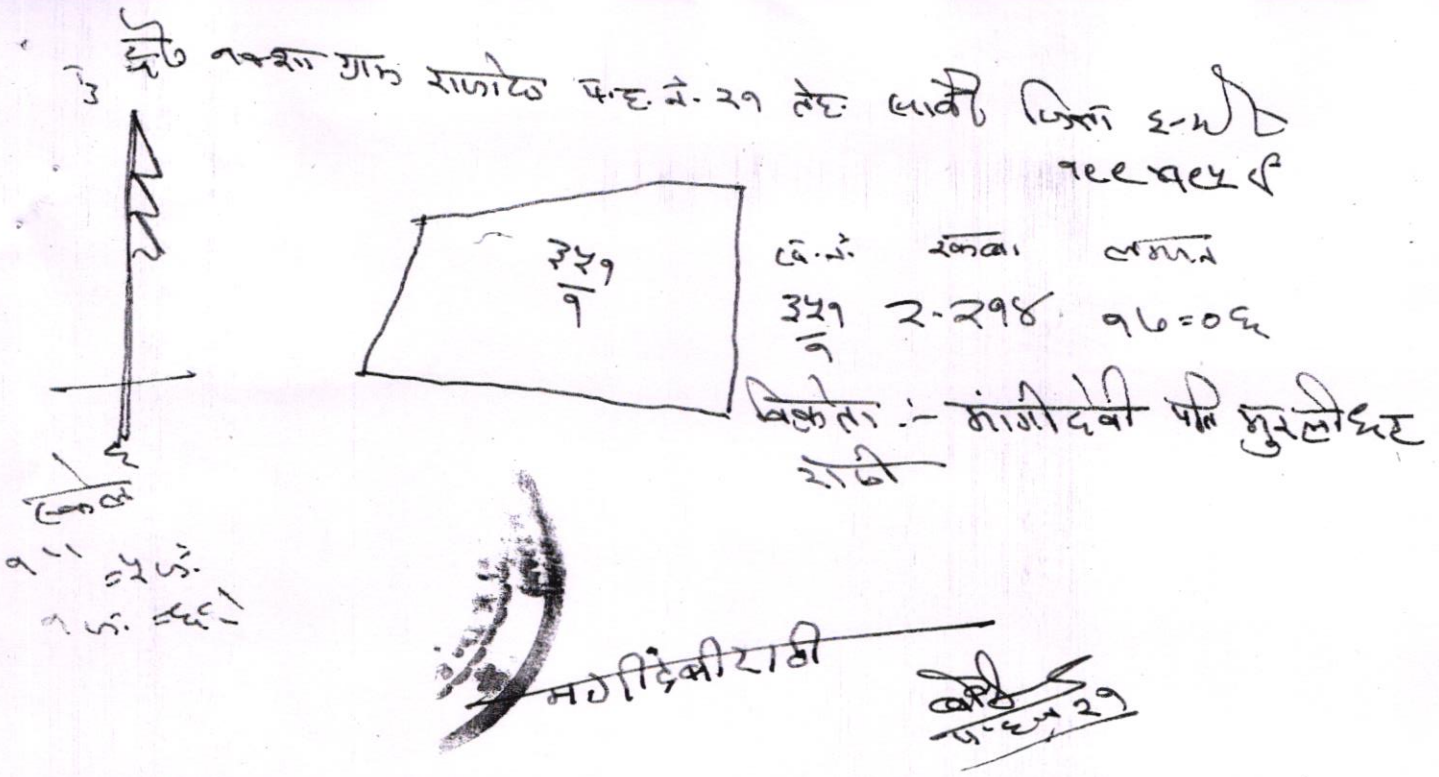

३ हुटे नक्सा गाउँ [illegible] फि.ह.नं. २१ [illegible] [illegible] जिल्ला [illegible]

१९९९ साल [illegible]

कि.नं.	रकबा	लगत नं.
३५१/१	२-२९४	१६=०६

बिक्रेता :- मांगोदेवी पति मुरलीधर राठी

स्केल

१" = ५ फि.

१ फि. = [illegible]

मगोदेवीराठी

[illegible] २१

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

विक्रय भूमि का खुलासा एवं विवरण निम्नानुसार हैं :-

सर्वे नम्बर	रकबा	लगान
३५१।१	२-२१४ हेक्टेयर	१७-०६ पैसे
(तीन सौ इक्यावन बटा एक)	(दो हे० दो सौ चौदह आरे)	(सतरह रुपये छ: पैसे)

विक्रय भूमि का विवरण :-

विक्रय भूमि पं० ह० नं० २१ (इक्कीस) राजस्व सर्कल क्रमांक २ (दो) में स्थित है

विक्रय भूमि असिंचित भूमि होकर के एक फसलीय भूमि है ।

विक्रय भूमि सड़क से लगी हुई भूमि है ।

विक्रय भूमि भू-दान व्दारा प्राप्त नही की है ।

विक्रय भूमि में वृक्ष वगैरा नही है ।

अविरत पेज---:३:

मणिदेवी राठी

202

प्रथम पेज के साथ संलग्न

जिला कोषालय, इन्दौर
31 MAR 1995

Rs 5000-

Surendra R. Jain

जिला इन्दौर के उप-पंजीयक
कार्यालय में तारीख 10 APR 1995
को ब० पु०/म० प० 2330
प्रस्तुत किया गया है।

5000Rs.

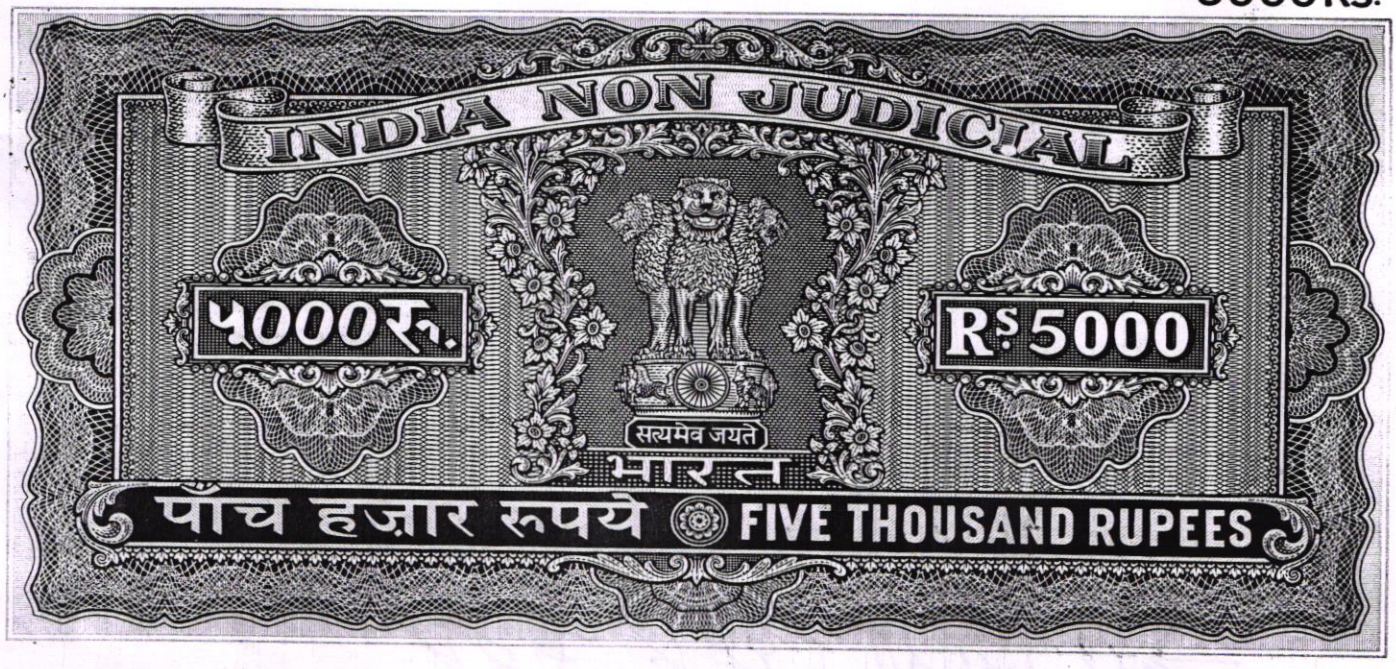

१:- श्रीमति मंगीदेवी पति मूरलीधरजी राठी आयु ६५ वर्षा निवासी १५४, अनूप नगर इन्दोर म० प्र० ।

:: कृषि भूमि के विक्रेता ::

१:- श्री मेसर्स स्वास्तिक स्पिनटेक्स लिमिटेड तर्फे इन्दोर तर्फे श्री घनश्यामदास पिता मूरलीधरजी राठी आयु ४२ वर्षा निवासी १५४, अनूप नगर इन्दोर

:: कृषि भूमि के क्रेता ::

१:-(एक)- यह कि, ग्राम राजोदा तहसील सांवेर जिला इन्दोर म० प्र० में मूक विक्रेता के मालकी तथा आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नम्बर ३५१।१ (तीन सो इक्यावन बटा एक) रकबा २-२१४ हे० (दो हेक्टेयर दो सो चौवदह आरे) लगान १७-०६ पैसे (सतरह रुपये छः पैसे) की स्थित है , उक्त भूमि की बिक्री मयभूमिस्वामित्व तथा मालकाने हक सहित किमत रुपये ६,५१०००।- अक्षारी छः लाख इक्यावन हजार रुपये में की होकर के किमत के चुकते रुपये मूक विक्रेता ने आप क्रेता से ऊपर लिखे अनुसार गवाहदारो के समक्ष लेकर के मरपाये है , विक्रय तथा श्रीमान उप-पंजीयक महोदय, सांवेर के समक्ष लेकर के मरपाये होने से किमत के बाबद आपसे किसी भी प्रकार की तोडी तकरार रही

अविरत पेज —:?४:

203

...R 1995

प्रथम पेज ... साथ संलग्न

जिला कोषालय, इन्दौर
3 1 MAR 1995

Rs. 5000-

श्रीमती रेखा पति [illegible]
[illegible]
[illegible]

Surendra [illegible] Jain
Distt Court [illegible]

~~[illegible] में अभिस्वीकार [illegible]~~
~~[illegible] करते हैं कि~~ यथार्थवत
विक्रय विलेख का निष्पादन
[illegible] गया था और प्रतिफल के
[illegible] रु० 4900) पांच हजार नौ सौ
.... प्राप्त हो गये
[illegible] रु० 6,45,000) छः लाख पैंतालीस हजार द्वारा चेक
~~[illegible] उपस्थिति में चुकाये गये~~ क्र. [illegible] दि. 2/3/95
और प्रतिफल की बकाया रकम
[illegible] रु० ... / ...... शेष नहीं है
[illegible] पंजीयन / दि० बाद प्राप्त हुई
[illegible] ......

कॉरपोरेशन बैंक महात्मा गांधी मार्ग
[illegible]
विजय कुमार वल्द लालचन्द
गुप्ता साकिन
[illegible]
राजकुमार [illegible] साकिन

[illegible] आज सुवाबत निष्पादक/आवेदक
की शिनाख्त के विषय में की गई
[illegible] तारीख 10 APR 1995

उप-पंजीयक
[illegible]

5000Rs.

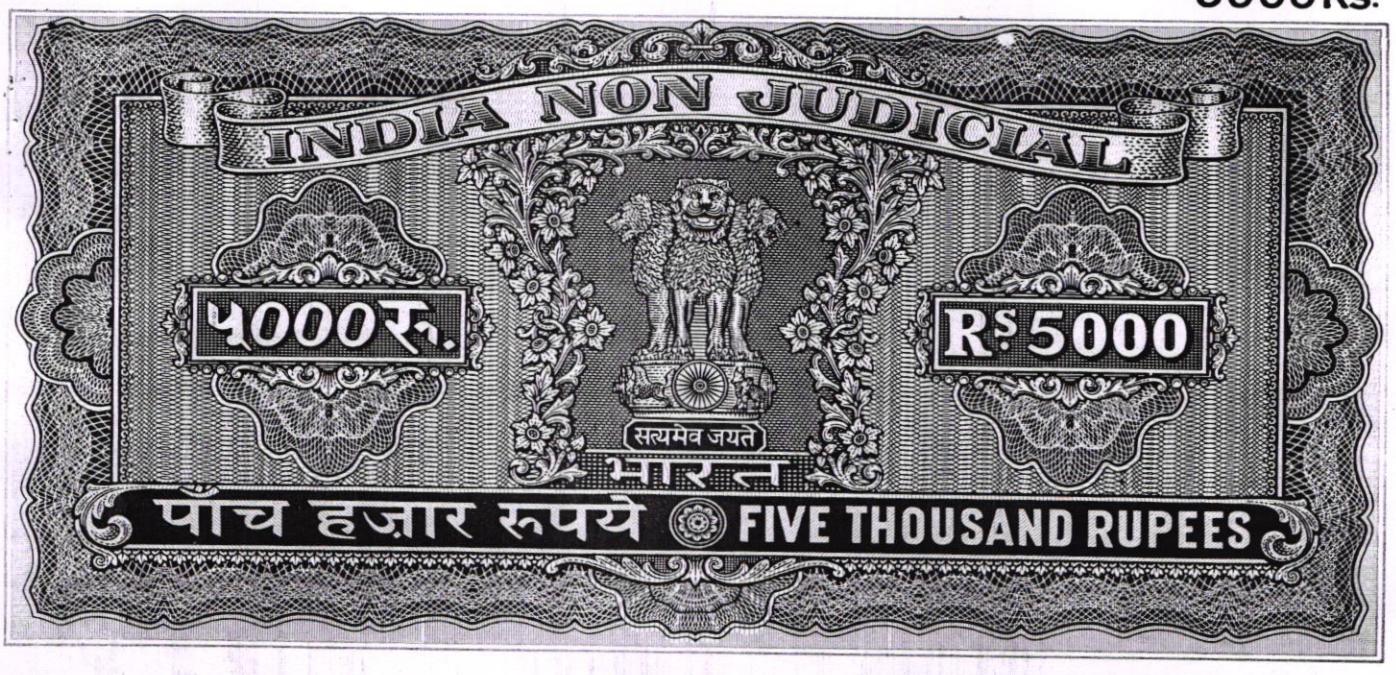

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.   Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये   FIVE THOUSAND RUPEES

नही, विक्रय भूमि का कब्जा आपको मौके पर जाकर के दे दिया होने से आप क्रेता मालीकनाते से काबीज हो गये है ।

२:-(दो)- यह कि, विक्रय भूमि की बिक्री आप क्रेता को योग्य एवं वैधानिक कारणो से की है मेरे वारसो के हक्क को नष्ट करने की नियत से नही की है, मुझे व्यापार के लिए रुपीयों की आवश्यकता होने से भूमि की बिक्री की है, सदर विक्रय विक्रय व्यवहार मे भू-राजस्व संहिता सन् १९५९ की धारा १६५ का उलल्घंन नहीं होता है, और ना म० प्र० कृषि जोत अधिकतम सीमा संशोधन अधिनियम सन् १९७२ के प्रावधानो का उल्लघंन होता है ।

३:-(तीन)- यह कि, विक्रय भूमि पर मुझ विक्रेता को तथा मेरे वारसो को जोजो भूमिस्वामित्व तथा मालकाने हक्क प्राप्त थे वह समस्त भूमिस्वामित्व तथा मालकाने हक्क इस लेख के व्दारा नष्ट होकर के आप क्रेता को तथा आपके वारसो को प्राप्त हो गये है, अब आप क्रेता ने उक्त भूमि का उपभोग तथा उपयोग अपनी इच्छानुसार वन्श परम्परा तक आनन्द व खुशी के साथ लेते जाना और तहसील कार्यालय सांवेर मे आवेदन-पत्र देकर के मेरा नाम भू-आलेखो मे से कम कराकर आपने आपका नाम भू-आलेखो मे दर्ज करा लेना । मै विक्रेता आपको नामातंरण की कार्यवाही मे पूर्ण सहयोग दूंगी ।

मनीहबीराखी

अविरत पेज ---::५:

208

APR 1995

प्रथम पेज के साथ संलग्न

जिला कोषालय, इन्दौर
31 MAR 1995

Rs 5000-

Surendra

मनोहरलाल राठी

उपलेखक, निष्पादक / साक्षी / व्यवसाय
के बंधु
का विवाह मेरे समक्ष ता० 10 APR 1995
298 को लिया गया।

उप पंजीयक
इंदौर (म०प्र०)

5000Rs.

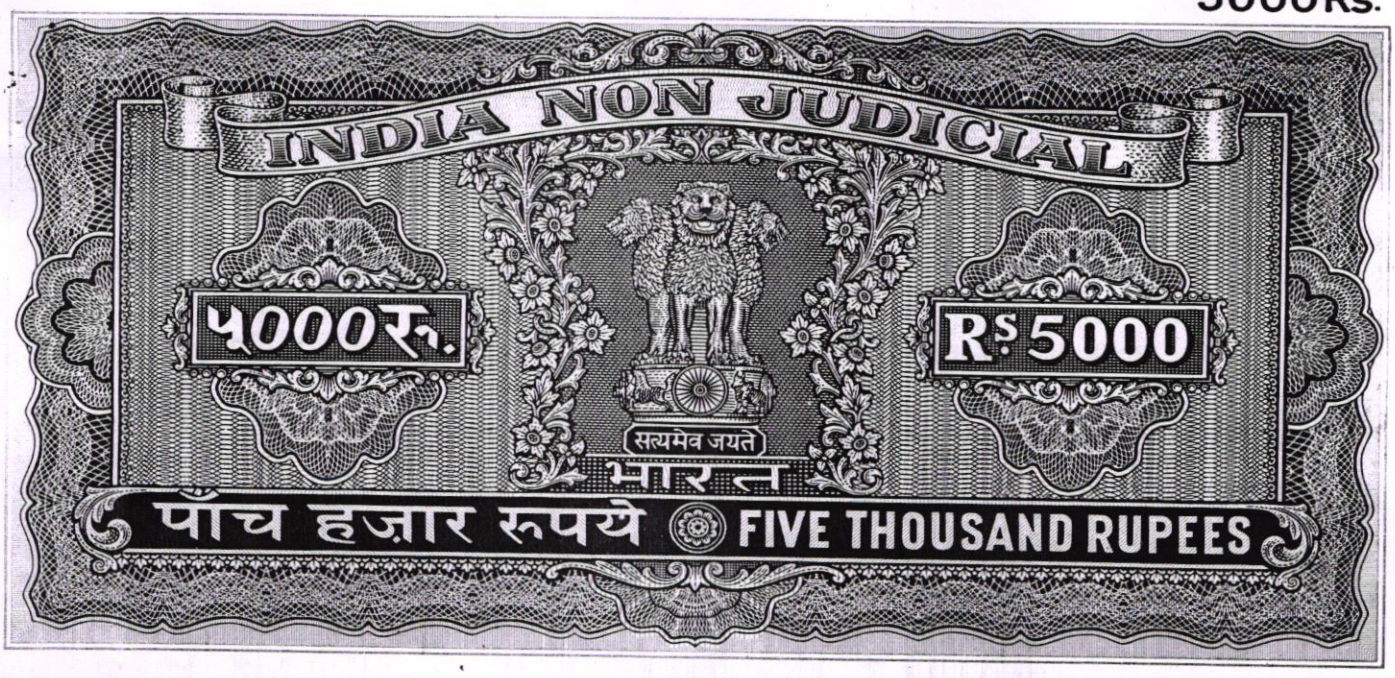

४:-(चार)- यह कि, विक्रय भूमि मुझ विक्रेता के मालकी तथा आधिपत्य की होकर के इसकी बिक्री आप क्रेता के सिवाय अन्य दीगर व्यक्ति को नही किया है , सदर भूमि पर बिक्री, दान, धर्म, बक्षीस, गिरवी वगैरा का बोझ नही है, और ना किसी की जमानत वगैरा का बोझ है ,और ना शासकीय वा अर्द्ध शासकीय कर्ज का बोझ है , और ना बैंक या सहकारी सस्था का बोझ है , और ना किसी को मृत्यु-पत्र या अन्य दीगर लेखके व्दारा अन्तरित वगैरा की है , उक्त भूमि सभी प्रकारो के ऋणो से मुक्त होकर के आपकको ही बिक्री से दी है , यदि किसी ने विक्रय भूमि बाबद आप क्रेता से किसी भी प्रकार का दावा या झगडा आपत्ति या हरकती वगैरा की तो उसका मन मे विक्रेता स्वय अपने घरघराऊ खर्चे से मनाऊंगी आपको किसी भी प्रकार के खर्चे व हर्जे की तोषीस वगैरा लगने नही दूंगी ।

५:-(पांच)- यह कि, विक्रय व्यवहार बाबद इन्कम टेक्स एक्ट सन् १९६१ की धारा २३० ए (१) अन्तगत प्रमाण-पत्र सदर दस्तावेज के साथ संलग्न है ।

६:-(छः)- यह कि, विक्रय भूमि का मानचित्र संलग्न है । जो कि इस दस्तावेज का अभिन्न अंग है ।

अविरत पेज ---::६::

मणीबेन

207

[illegible] 1995

[illegible] पेज के साथ संलग्न

जिला कोषालय, इन्दौर
31 MAR 1995

Rs 5000/-

5000Rs.

७:-(सात)-, यह कि, विक्रय भूमि मुफ विक्रेता के मालकी तथा आधिपत्य की होकर के भू-आलेखों में मुफ विक्रेता का नाम दर्ज है । उक्त भूमि को मुफ विक्रेता ने श्री सिद्धनाथ एवं श्री मदनलाल पिता कन्हैयालाल निवासी बिजलपुर तह० एवं जिला इन्दौर वालों से बिक्रीखत रजिस्ट्री नोंन नम्बर १०७१ दिनांक ०६ १६।१२।६५ के जरिये से क्रय की थी ।

८:-(आठ)- यह कि, विक्रय भूमि की सरकारी तोजी आज बिक्रीखत दिनांक तक की मैं विक्रेता अदा करुंगी आगे से आप क्रेता ने देते जाना और तहसील कार्यालय सांवेर से रसीद पावती लेते जाना ।

सदर का बिक्रीखत मैंने अपनी राजीखुशी से मन व शरीर की स्वस्थ दशा में रहकर बिना नशा पाणी किए होश हवाश में रहकर लिखवाकर

अविरत पेज ----::७::

मणिश्रीराठी

२०६

[illegible] पेज के साथ संलग्न

जिला कोषालय, इन्दौर
31 MAR 1995
Rs 5000/-

5000Rs.

तथा पढवाकर कर सुना , सदर विक्रेख मे लिखा कल मजमून मेरी दी गई जानकारी व्दारा सही सही लिखा गया होने से दो सादीयो के समक्ष मैने अपने हस्ताक्षार किए है जो सनद रहे । इतिदिनाक १०।४।१९९५ (दस अप्रेल उन्नीस सो पिच्यानवें) दस्तर लालचन्द गुप्ता दस्तावेज लेखक लायसेन्स नम्बर २ (दो) उप-पंजीयक कार्यालय सांवेर जिला इन्दोर म० प्र०

साक्षागण

हस्ताक्षार

१:- संजय कुमार पिता लालचन्द गुप्ता
निवासी सांवेर जिला इन्दोर म० प्र०

(विक्रेता)

२:- इन्दरसिंह पिता करणासिंह राजपूत
निवासी देवली तहसील सांवेर

टीप:- सदर विक्रेख मे किसी भी प्रकार की कोई कमीपेशी नही की है ।
हस्ताक्षार

(विक्रेता)